

**प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 23.04.2025**

**जनपद बरेली।**

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली द्वारा रंगदारी, चोरी/नकबजनी/डकैती, अवैध शराब निष्कर्षण, अवैध शस्त्र निर्माण, गौकशी एवं एनडीपीएस एक्ट के अभियोगों से संबंधित 11 अपराधियों की खोली गई बी क्लास की हिस्ट्रीशीट।**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली द्वारा अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कठोर कदम उठाते हुए 11 कुख्यात अपराधी जो कूटरचित दस्तावेज, अवैध शस्त्र निर्माण, रंगदारी, चोरी/नकबजनी/डकैती, अवैध शराब निष्कर्षण, गौकशी एवं एनडीपीएस एक्ट एवं अन्य संगीन अपराधों में संलिप्त रहे हैं, का सम्पूर्ण आपराधिक इतिहास संकलित कर उनकी निगरानी हेतु बी क्लास की हिस्ट्रीशीट खोली गयी है जिनका विवरण निम्नवत् है-

1. कालू उर्फ काला पुत्र इन्द्र सिंह उर्फ इन्द्र निवासी ग्राम रोहतापुर थाना अलीगंज पर अवैध शराब निष्कर्षण के 10 अभियोग पंजीकृत हैं।
2. शाबीन बी उर्फ साबिन पुत्र पुत्तन निवासी ग्राम हल्दीपुर थाना मीरगंज पर रंगदारी मांगने व हत्या प्रयास आदि के 8 अभियोग पंजीकृत हैं।
3. मनोज कुमार पुत्र जयप्रकाश निवासी नगरिया सादात थाना मीरगंज पर डकैती व चोरी करने आदि के 8 अभियोग पंजीकृत हैं।
4. राहत अली पुत्र इशरत अली निवासी मोहल्ला मीर खां बाबर नगर थाना मीरगंज पर चोरी, नकबजनी व गैंगस्टर एक्ट आदि के 7 अभियोग पंजीकृत हैं।
5. यशपाल पुत्र निवासी ग्राम सिंगरा थाना मीरगंज पर चोरी शस्त्र अधिनियम आदि के 7 अभियोग पंजीकृत हैं।
6. जुगेन्द्र पाल सागर पुत्र लटूरी निवासी इस्लामनगर उर्फ दलीपुर थाना सिरौली पर अवैध शराब निष्कर्षण व नकबजनी आदि के 7 अभियोग पंजीकृत हैं।
7. मो0 दानिश पुत्र जमील अहमद निवासी नूरीनगर थाना बहेड़ी पर चोरी, गैंगस्टर आदि के 5 अभियोग पंजीकृत हैं।
8. निजाम पुत्र यासीन निवासी वार्ड नं0 12 थाना बिशारतगंज पर गौकशी व एनडीपीएस एक्ट के 5 अभियोग पंजीकृत हैं।
9. जाहिद खां उर्फ जाकिर खां उर्फ लल्ला पुत्र छेलू निवासी ग्राम पढेरा थाना फतेहगंज पूर्वी पर एनडीपीएस व मारपीट आदि के 4 अभियोग पंजीकृत हैं।
10. बाबूराम पुत्र फगुनी निवासी ग्राम याकूबगंज थाना बहेड़ी पर अवैध शस्त्र निर्माण आदि के 3 अभियोग पंजीकृत हैं।
11. शाकिर पुत्र शहादत हुसैन निवासी ग्राम पदारथपुर थाना बिथरीचैनपुर पर चोरी के वाहनों का कूटरचित दस्तावेज तैयार करने के 2 अभियोग पंजीकृत हैं।

**"उक्त कार्यवाही अपराध नियंत्रण और जनता की सुरक्षा" के लिए है। अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्यवाहियां भविष्य में भी जारी रहेंगी।"**